LEGISLATIVE ASSEMBLY
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
Bulletin Part-I
(Brief summary of proceedings)
Monday, 03 August, 2015/ 12 Shraavan 1937 (Saka)

No. 14
2.00 P.M. Sh. Ram Niwas Goel, Hon'ble Speaker in-Chair

1. 2:01 P.M. **Introduction of newly appointed Secretary (Legislative Assembly):**
The Hon'ble Speaker introduced the newly appointed Secretary of Legislative Assembly, Sh. Prasanna Kumar Suryadevara to the House.

2. 2:02 P.M. The Chair stated that separate notices under Rules 54, 59 & 107 had been received from some Hon'ble Members.
Hon'ble Speaker while stating that this particular session had been convened for discussion on a specific matter, disallowed the aforesaid notices.
Sh. Vijender Gupta, Leader of Opposition was not satisfied with the Ruling of the Chair. He came in the well of the House and started exchanging arguments with the Chair.
Remaining two Members of BJP stood up at their seats and exchanged arguments with the Chair.
The Chair stated that as per the Rule-293 of Rules of Procedure and Conduct of Business in the House, *"No decision of the Speaker in respect of allowing or disallowing of any Resolution or question or in respect of any other matter, shall be questioned."*

3. 2:11 P.M. **Special Mention(Rule 280):**
The following Members raised the matters under Rule 280 :
   1. Sh. Jagdish Pradhan
   2. Sh. Raghuvinder Shokeen
   3. Sh. Rajender Pal Gautam
   4. Sh. Anil Kumar Bajpai

4. 2:20 P.M. Sh. Om Prakash Sharma, Sh. Somnath Bharti and Sh. Jagdish Pradhan also expressed their views on the issue raised by Sh. Anil Kumar Bajpai.
Hon'ble Speaker and Minister of Social Welfare intervened in the matter.

5. 2:26 P.M.
   5. Sh. Jarnail Singh (Tilak Nagar)
   6. Sh. Om Prakash Sharma
   7. Sh. Gulab Singh
   8. Sh. Rajesh Rishi

6. 2:42 P.M. Members of BJP raised objection over the mentioning of a particular word by Sh. Rajesh Rishi in the text of his matter under Rule-280.

The Chair expunged the objectionable word from the proceedings of the House.

7. 2:44 P.M. 9. Sh. Jagdeep Singh

10. Sh. Nitin Tyagi

8. 2:50 P.M. **<u>Government Resolution (Rule-90)</u> :**

Shri Sandeep Kumar, Hon'ble Minister of Women & Child, Social Welfare, SC & ST sought leave of the House for moving Resolution under Rule-90.

The Motion was put to vote and adopted by voice-vote.

Hon'ble Minister made a brief statement regarding reasons and objectives of the Resolution.

9. 2:54 P.M. Sh. Vijender Gupta, Leader of Opposition stated that the Resolution being moved by Sh. Sandeep Kumar, Hon'ble Minister was not in conformity with the Rules and it has been moved in contradiction with Section-239AA of Indian Constitution and the Constitution (69 Amendment) Act.

Hon'ble Speaker stated that the House is supreme and it can discuss the issue pertaining to the security of women and decide accordingly.

Hon'ble Speaker ruled that the Resolution is admissible under Constitution and Rules of the House.

Sh. Manish Sisodia, Hon'ble Dy. Chief Minister stated that the House is transacting business as per its constitutional right and also stated that he would justify the Resolution when it is debated upon.

10. 3:03 P.M. **<u>Government Resolution (Rule 90)</u> :**

Shri Sandeep Kumar, Hon'ble Minister of Women & Child, Social Welfare, SC & ST moved the following Resolution under Rule-90 :-

"That having noted with anguish and deep sense of regret the ever increasing incidence of crime against women in the National Capital Territory of Delhi and perceived negligence and inability on the part of law enforcing agency in dealing with this grave situation, this House resolves that:

- Pursuant to Section 3 of *The Commissions of Inquiry Act, 1952,* a Commission of Inquiry, consisting of not more than three members including a retired Judge who will be its Chairman, be constituted by the Government of National Capital Territory of Delhi.

The House further resolves that:

- The terms of reference for the Commission so constituted shall, broadly, be:

1. To receive unheeded complaints regarding crimes such as violence, sexual harassment, stalking, voyeurism etc., that are committed against women since February, 2013, i.e. subsequent to amendments made to IPC and CrPC on the basis of some of the recommendations made by Justice Verma Committee and suggest action to Government of National Capital Territory of Delhi,
2. To suggest necessary amendments to the relevant laws, if any,
3. To recommend to Government of National Capital Territory of Delhi whether any case of negligence or collusion is made out prima facie in the cases examined,
4. To recommend measures to expedite all the proceedings in such criminal cases,
5. To propose measures to be taken to properly implement the provisions of existing laws as well as the recommendations of the Justice Verma Committee and to prevent recurrence of such incidents, And
6. To address any other issue/s that the Commission may find relevant during the course of its inquiry.

The House also resolves that:

The Government of National Capital Territory of Delhi is wholly authorized to enlarge the scope of inquiry to be conducted by the Commission thus constituted, if the circumstances so warrant."

11. 3:05 P.M. Sh. Om Prakash Sharma wore a printed apron and threw pamphlets on the table of the House and in the well of the House, shouting slogans against the Government.

The Chair stated that such behavior of the Members was indecorous and highly objectionable.

12. 3:06 P.M. Sh. Vijender Gupta, Leader of Opposition, Sh. Om Prakash Sharma and Sh. Jagdish Pradhan, Members of BJP walked out of the House in protest against the Resolution.

13. 3:07 P.M. **Government Resolution (Rule 90) :**

The following Members participated in the discussion :-

1. Ms. Bhavana Gaur
2. Ms. Alka Lamba
3. Sh. Jarnail Singh (Rajouri Garden)
4. Ms. Bandna Kumari

14. 4:07 P.M. **The Chair adjourned the House till 4:30 P.M. for Tea-Break.**

15. 4:31 P.M. **House reassembled.**
Smt. Bandna Kumari, Hon'ble Dy. Speaker in- Chair.

16. 4:32 P.M. **Discussion on Government Resolution (Rule 90) continued :**
5. Ms. Rakhi Bilrla
6. Sh. Somnath Bharti
7. Ms. Promila Tokas
8. Sh. Saurabh Bhardwaj
9. Ms. Sarita Singh

17. 5:38 P.M. **Sh. Ram Niwas Goel, Hon'ble Speaker in-Chair**

18. 5:38 P.M. Ms. Sarita Singh Contd.....
10 Sh. Kapil Mishra , Minister of Law
11. Sh. Gopal Rai, Minister Transport

19. 6:22 P.M. Sh. Manish Sisodia, Hon'ble Deputy Chief Minister took part in the debate.
He also laid copies of some FIRs and complaints on the table of the House.

20. 6:40 P.M. Sh. Arvind Kejriwal, Hon'ble Chief Minister took part in the debate.

21. 7:04 P.M. Shri Sandeep Kumar, Hon'ble Minister of Women & Child, Social Welfare, SC & ST moved that the following point be added in the terms of reference for the proposed Commission of Inquiry:
6. To recommend welfare measures for improving the working conditions of the real foot soldiers in the law enforcing agencies.

22. 7:06 P.M. Hon'ble Speaker observed that the concern raised by Hon'ble Members during the course of the debate about inaction on the part of Police on complaints filed by women Members of the House are very serious. He directed the Secretariat to examine if that negligence on the part of Police amounts to breach of privilege. He also took the sense of the House to proceed in the matter, if necessary.

23. 7:07 P.M. The following amended Resolution moved by Shri Sandeep Kumar, Hon'ble Minister of Women & Child, Social Welfare, SC & ST was put to vote and adopted by voice-vote:
"That having noted with anguish and deep sense of regret the ever increasing incidence of crime against women in the National Capital Territory of Delhi and perceived negligence and inability on the part of law enforcing agency in dealing with this grave situation, this House resolves that:

- Pursuant to Section 3 of *The Commissions of Inquiry Act, 1952,*

a Commission of Inquiry, consisting of not more than three members including a retired Judge who will be its Chairman, be constituted by the Government of National Capital Territory of Delhi.

The House further resolves that:

- The terms of reference for the Commission so constituted shall, broadly, be:

1. To receive unheeded complaints regarding crimes such as violence, sexual harassment, stalking, voyeurism etc., that are committed against women since February, 2013, i.e. subsequent to amendments made to IPC and CrPC on the basis of some of the recommendations made by Justice Verma Committee and suggest action to Government of National Capital Territory of Delhi,
2. To suggest necessary amendments to the relevant laws, if any,
3. To recommend to Government of National Capital Territory of Delhi whether any case of negligence or collusion is made out prima facie in the cases examined,
4. To recommend measures to expedite all the proceedings in such criminal cases,
5. To propose measures to be taken to properly implement the provisions of existing laws as well as the recommendations of the Justice Verma Committee and to prevent recurrence of such incidents,
6. To recommend welfare measures for improving the working conditions of the real foot soldiers in the law enforcing agencies, and
7. To address any other issue/s that the Commission may find relevant during the course of its inquiry.

The House also resolves that:

The Government of National Capital Territory of Delhi is wholly authorized to enlarge the scope of inquiry to be conducted by the Commission thus constituted, if the circumstances so warrant."

24. 7:09 P.M. The Chair expressed thanks to the Chief Minister, Deputy Chief Minister, Leader of Opposition, all the Members of the House and others for their co-operation in smooth conduct of the Session.

25. 7:10 P.M. **National Anthem- Jan-Gan-Man.**
House was adjourned *sine-die.*

Delhi
03 August, 2015

Prasanna Kumar Suryadevara
Secretary

विधान सभा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली
समाचार भाग–1
कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख
सोमवार, 03 अगस्त, 2015/श्रावण 12, 1937(शक)

संख्या–14

2.00 बजे **श्री रामनिवास गोयल, माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए।**

1	2.01 बजे	**अध्यक्ष महोदय द्वारा नवनियुक्त विधान सभा सचिव का परिचय :** माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन में विधान सभा के नवनियुक्त सचिव श्री प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा का परिचय दिया।
2.	2.02 बजे	अध्यक्ष महोदय ने कहा कि विभिन्न माननीय सदस्यों से नियम-54, 59 तथा 107 के अन्तर्गत अलग-अलग सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। अध्यक्ष महोदय ने यह कहते हुए कि यह विशेष सत्र एक विशेष मुद्दे पर विचार करने के लिए बुलाया गया है, उन्होंने उपरोक्त सूचनाओं को स्वीकृति प्रदान नहीं की। श्री विजेन्द गुप्ता, नेता प्रतिपक्ष अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थे। वे सदन के वैल में आ गए तथा अध्यक्ष महोदय के साथ तर्क-वितर्क करने लगे। भारतीय जनता पार्टी के शेष दो सदस्य अपने आसनों पर खड़े हो गए तथा अध्यक्ष महोदय के साथ तर्क-वितर्क करने लगे। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम-293 के अनुसार, *किसी संकल्प या प्रश्न एवं किसी अन्य विषय की स्वीकृति या अस्वीकृति देने के बारे में अध्यक्ष का जो निर्णय हो, उस पर कोई आपत्ति नहीं की जाएगी।*
3.	2.11 बजे	**विशेष उल्लेख (नियम-280) :** निम्नलिखित सदस्यों द्वारा नियम-280 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के मामले उठाए गए: 1. श्री जगदीश प्रधान 2. श्री रघुविन्दर शौकीन 3. श्री राजेन्द्रपाल गौतम 4. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
4.	2.20 बजे	श्री ओमप्रकाश शर्मा, श्री सोमनाथ भारती और श्री जगदीश प्रधान ने भी श्री अनिल कुमार बाजपेयी द्वारा उठाए गए मुद्दे के संबंध में अपने विचार व्यक्त किये। अध्यक्ष महोदय तथा समाज कल्याण मंत्री ने मामले में हस्तक्षेप किया।
5.	2.26 बजे	5. श्री जरनैल सिंह (तिलक नगर) 6. श्री ओम प्रकाश शर्मा 7. श्री गुलाब सिंह 8. श्री राजेश ऋषि
6.	2.42 बजे	भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने श्री राजेश ऋषि द्वारा नियम-280 के अन्तर्गत उठाए गए अपने मामले की विषयवस्तु में एक शब्द विशेष का उल्लेख करने पर आपत्ति प्रकट की। अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही से आपत्तिजनक शब्द को निकाल दिया।

7. 2.44 बजे 9. श्री जगदीप सिंह
10.श्री नितिन त्यागी

8. 2.50 बजे **नियम 90 के अन्तर्गत सरकारी संकल्प :**

श्री संदीप कुमार, माननीय महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण एवं अनु.जा./जन.जा. मंत्री ने नियम-90 के अन्तर्गत संकल्प प्रस्तुत करने के लिए सदन की अनुमति मांगी।

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा ध्वनिमत से पारित हुआ।

मंत्री महोदय ने संकल्प के कारणों तथा उद्देश्यों के संबंध में संक्षिप्त वक्तव्य दिया।

9. 2.54 बजे श्री विजेन्द्र गुप्ता, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि श्री संदीप कुमार, माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा संकल्प नियमों के अनुरूप नहीं है तथा यह भारत के संविधान की धारा 239 कक तथा संविधान (69 वां संशोधन) अधिनियम के विरोधाभास स्वरूप प्रस्तुत किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि सदन सर्वोपरि है तथा यह महिला सुरक्षा से संबंधित मुद्दे पर विचार कर सकता है तथा तदनुसार निर्णय कर सकता है।

अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि संविधान तथा सदन के नियमों के अन्तर्गत उक्त संकल्प ग्राह्य है।

श्री मनीष सिसोदिया, उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन अपने संवैधानिक अधिकारों के अन्तर्गत कार्यवाही चला रहा है तथा यह भी कहा कि वे चर्चा के दौरान संकल्प के औचित्य पर विचार प्रकट करेंगे।

10. 3.03 बजे **नियम 90 के अन्तर्गत सरकारी संकल्प :**

श्री संदीप कुमार, माननीय महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण एवं अनु.जा./जन.जा. मंत्री ने नियम-90 के अन्तर्गत निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया :-

"राजधानी दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ हमेशा से बढ़ते अपराधों और इस गंभीर स्थिति से निपटने में कानून लागू करवाने वाली एजेन्सी की असमर्थता और उदासीनता को गहरी व्यथा और बहुत अफसोस के साथ देखते हुए यह सदन संकल्प करता है कि:

"राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली की सरकार द्वारा जांच आयोग अधिनियम,1952 की धारा-3 के अनुसार, एक सेवा निवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय जाँच आयोग का गठन किया जाये, जिसके अध्यक्ष सहित तीन से अधिक सदस्य नहीं होंगे।'

यह सदन यह भी संकल्प करता है कि:

इस प्रकार गठित आयोग के निम्नलिखित कार्य क्षेत्र होंगे:

1.जस्टिस वर्मा समिति की सिफारिशों के आधार पर फरवरी,2013 से भारतीय दण्ड संहिता एवं भारतीय आपराधिक संहिता में किए गए संशोधनों के उपरांत महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, यौन शोषण, स्टॉकिंग, अभद्र छेड़छाड़ इत्यादि की न सुनी गई शिकायतें प्राप्त करना तथा राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली की सरकार को इस विषय में सुझाव देना,

2.सम्बद्ध कानूनों में, यदि आवश्यक हो, जरूरी संशोधनों का सुझाव देना,

3.जाँच किए गए मामलों में से किसी मामले में प्रथम दृष्टया उदासीनता या मिलीभगत का मामला सामने आने पर इस विषय में राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली की सरकार को सिफारिश करना,

4.ऐसे सभी आपराधिक मामलों में पूरी कार्रवाई को जल्दी निपटाने के लिए उपायों की सिफारिश करना,

5.वर्तमान कानूनी प्रावधानों के साथ-साथ जस्टिस वर्मा समिति की सिफारिशों को उपयुक्त ढंग से कार्यान्वित करने तथा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु उपायों का सुझाव देना, और

6.आयोग द्वारा जांच के दौरान पाये गये किसी भी अन्य सम्बद्ध मामले को निपटाना।

यह सदन यह भी संकल्प करता है कि:

"परिस्थितियों की मांग होने पर राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली सरकार इस प्रकार गठित आयोग द्वारा की जाने वाली जाँच का दायरा बढ़ाने हेतु पूर्णतः अधिकृत है।"

11.	3.05 बजे	श्री ओमप्रकाश शर्मा ने एक मुद्रित एप्रन पहना तथा सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए, सदन पटल और सदन के वैल में इश्तहार फैंके। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि सदस्यों का ऐसा व्यवहार अमर्यादित तथा अत्यधिक आपत्तिजनक है।
12.	3.06 बजे	श्री विजेन्द्र गुप्ता नेता प्रतिपक्ष तथा भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों श्री ओमप्रकाश शर्मा तथा श्री जगदीश प्रधान ने संकल्प के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया।
13.	3.07 बजे	<u>सरकारी संकल्प (नियम-90) :</u> निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :- 1. सुश्री भावना गौड़ 2. सुश्री अलका लाम्बा 3. श्री जरनैल सिंह (राजौरी गार्डन) 4. श्रीमती बन्दना कुमारी
14	4.07 बजे	**अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही जलपान अवकाश हेतु 4.30 बजे तक के लिये स्थगित की।**
15	4.31 बजे	**सदन पुन: समवेत हुआ** **श्रीमती बन्दना कुमारी ,माननीय उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुई।**
16.	4.32 बजे	<u>सरकारी संकल्प (नियम-90) पर चर्चा जारी. . . . .</u> 5. सुश्री राखी बिरला 6. श्री सोमनाथ भारती 7. सुश्री प्रोमिला टोकस 8. श्री सौरभ भारद्वाज 9. सुश्री सरिता सिंह
17	5.38 बजे	**श्री रामनिवास गोयल, माननीय अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।**
18.	5.38 बजे	सुश्री सरिता सिंह जारी. . . . 10 श्री कपिल मिश्रा, विधि एवं न्याय मंत्री 11. श्री गोपाल राय, परिवहन मंत्री
19.	6.22 बजे	12.श्री मनीष सिसोदिया, माननीय उप मुख्य मंत्री ने चर्चा में भाग लिया। उन्होंने कुछ एफ.आई.आर. तथा शिकायतों की प्रतियाँ सदन पटल पर रखीं।
20.	6.40 बजे	श्री अरविन्द केजरीवाल, माननीय मुख्य मंत्री ने चर्चा में भाग लिया।
21.	7.04 बजे	श्री संदीप कुमार, माननीय महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण एवं अनु.जा./जन.जा. मंत्री ने प्रस्ताव किया कि प्रस्तावित जांच आयोग के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित बिन्दु जोड़ा जाए: 6. कानून प्रवर्तन एजेंसियों में वास्तविक स्तर पर कार्यरत कर्मियों की कार्यदशा सुधारने के लिए कल्याणकारी कदम उठाने की सिफारिश करना।
22.	7.06 बजे	अध्यक्ष महोदय ने यह अवलोकन किया कि सदन की महिला सदस्यों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों पर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न करने के बारे में चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा जाहिर की गई चिंता अत्यधिक गंभीर विषय है। उन्होंने सचिवालय को

यह निर्देश दिया कि यदि पुलिस की लापरवाही विशेषाधिकार हनन का मामला है। तो इसकी जांच करे।

उन्होंने इस विषय में अग्रिम कार्यवाही हेतु सदन की भावना का संज्ञान भी लिया।

23. 7.07 बजे श्री संदीप कुमार, माननीय महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण एवं अनु.जा./जन.जा. मंत्री द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित संशोधित संकल्प मतदान के लिए रखा गया तथा ध्वनिमत से स्वीकार हुआ :-

"राजधानी दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ हमेशा से बढ़ते अपराधों और इस गंभीर स्थिति से निपटने में कानून लागू करवाने वाली एजेन्सी की असमर्थता और उदासीनता को गहरी व्यथा और बहुत अफसोस के साथ देखते हुए यह सदन संकल्प करता है कि:

"राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली की सरकार द्वारा जांच आयोग अधिनियम,1952 की धारा-3 के अनुसार, एक सेवा निवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय जाँच आयोग का गठन किया जाये, जिसके अध्यक्ष सहित तीन से अधिक सदस्य नहीं होंगे।'

यह सदन यह भी संकल्प करता है कि:

इस प्रकार गठित आयोग के निम्नलिखित कार्य क्षेत्र होंगे:

1.जस्टिस वर्मा समिति की सिफारिशों के आधार पर फरवरी,2013 से भारतीय दण्ड संहिता एवं भारतीय आपराधिक संहिता में किए गए संशोधनों के उपरांत महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, यौन शोषण, स्टॉकिंग, अभद्र छेड़छाड़ इत्यादि की न सुनी गई शिकायतें प्राप्त करना तथा राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली की सरकार को इस विषय में सुझाव देना,

2.सम्बद्ध कानूनों में, यदि आवश्यक हो, जरूरी संशोधनों का सुझाव देना,

3.जाँच किए गए मामलों में से किसी मामले में प्रथम दृष्टया उदासीनता या मिलीभगत का मामला सामने आने पर इस विषय में राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली की सरकार को सिफारिश करना,

4.ऐसे सभी आपराधिक मामलों में पूरी कारवाई को जल्दी निपटाने के लिए उपायों की सिफारिश करना,

5.वर्तमान कानूनी प्रावधानों के साथ-साथ जस्टिस वर्मा समिति की सिफारिशों को उपयुक्त ढंग से कार्यान्वित करने तथा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु उपायों का सुझाव देना,

6. कानून प्रवर्तन एजेंसियों में वास्तविक स्तर पर कार्यरत कर्मियों की कार्यदशा सुधारने के लिए कल्याणकारी कदम उठाने की सिफारिश करना, और

7.आयोग द्वारा जांच के दौरान पाये गये किसी भी अन्य सम्बद्ध मामले को निपटाना।

यह सदन यह भी संकल्प करता है कि:

"परिस्थितियों की मांग होने पर राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली सरकार इस प्रकार गठित आयोग द्वारा की जाने वाली जाँच का दायरा बढ़ाने हेतु पूर्णतः अधिकृत है।"

24. 7.09 बजे अध्यक्ष महोदय ने सत्र के दौरान सुचारू संचालन में सहयोग के लिए मुख्य मंत्री, उप मुख्य मंत्री, नेता प्रतिपक्ष, सदन के सभी सदस्यों, तथा अन्य अधिकारियों/संस्थाओं का आभार व्यक्त किया।

25. 7.10 बजे **राष्ट्र गान -जन-गण-मन।**

सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुआ।

प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा
सचिव

दिल्ली
03 अगस्त, 2015